


## कार्यालय जिला पंचायत, गाजीपुर।

### -टेण्डर सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, गाजीपुर के प्रवन्धाधीन वर्ष-2021-22 (01.04.2021 से 31.03.2022) तक के लिए मृत पशु शव निस्तारण/हड्डी चमड़ा का लाइसेन्स /ठेका की निविदा दिनांक-23.02.2021 को अपरान्ह 02 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं तथा निविदा उसी दिन अपरान्ह 03 बजे निविदा समिति के समक्ष टेण्डरदाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा। टेण्डर फार्म कार्यालय से कार्य दिवस में दिनांक-22.02.2021 को मु०- 100.00 तथा जी०एस०टी० 18 प्रतिशत सहित जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म के साथ जमानत धनराशि मु०-1000.00 रूपया जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय कार्य दिवस में किसी भी दिन प्राप्त किया जा सकता है।

सुजीत कुमार मिश्रा  
कार्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, गाजीपुर

  
11.2.21  
सुरेश कुमार  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, गाजीपुर,

मंगला प्रसाद सिंह  
जिलाधिकारी/प्रशासक,  
गाजीपुर


### कार्यालय जिला पंचायत, गाजीपुर।

पृ०सं०: 742 / जि०पं०गा० / 2020-21

दिनांक 11.2.2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
4. कार्यालय लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की नियत तिथि को उपस्थित होकर टेण्डर खोलवाने का कष्ट करें।
6. कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।
7. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, गाजीपुर को इस आशय से की आप टेण्डर समिति में सदस्य नामित है तथा दिनांक-23.02.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में उपस्थित रहकर टेण्डर खोलवाने का कष्ट करें।
8. कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, गाजीपुर को इस आशय से की आप टेण्डर समिति में सदस्य नामित है तथा दिनांक-23.02.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में उपस्थित रहकर टेण्डर की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. रोकडिया जिला पंचायत, गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त राजस्व निरीक्षक/कर समाहर्ता, जिला पंचायत, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ की अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' तथा 'हिन्दुस्तान' को इस आशय से कि अपने सम्मानित समाचार पत्र में कम से कम स्थान में (पठनीय) प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, गाजीपुर।